Political Science Dept.
B.A. - 2 (Sub.)

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College,
Tajpur, Samastipur

भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया

भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया न तो अमेरिकी प्रक्रिया की तरह जटिल है और न ब्रिटिश प्रक्रिया की तरह सरल है। यह नम्यता और अनम्यता का अपूर्व सम्मिश्रण है। इसमें संशोधन की तीन विधियां अपनायी गई हैं जो इस प्रकार हैं —

(1) सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन :-

संविधान के कुछ उपबंधों में सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। जैसे :- नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन, पाँचवी अनुसूचि, छठी अनुसूचि आदि।

(2) विशेष बहुमत द्वारा संशोधन :-

संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा होता है। संसद के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा संशोधन होता है। जैसे :- मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित वे सभी प्रावधान जो पहले और तीसरे तरीके से संशोधित नहीं होते, नीति-निदेशक तत्व।

(3) विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति :-

संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति द्वारा किए जाते हैं। जैसे :- राष्ट्रपति का निर्वाचन, सातवीं अनुसूचि आदि।